



षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-02.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री समीर कुमार महासेठ, संवि०स० श्री संजय कुमार सिंह, संवि०स० श्री शम्भु नाथ यादव, संवि०स० श्री सुरेन्द्र कुमार, संवि०स० श्री अशोक कुमार, संवि०स० (क्षेत्र सं०-208) श्री सुवेदार दास, संवि०स०	<p>जल संरक्षण की योजना कारगर नहीं रहने के कारण राज्य में 4.50 लाख हैंड पम्प सूख चुके हैं। 8386 पंचायतों में से 1876 पंचायतों में भूजल स्तर नीचे चला गया है। जल संरक्षण के उपायों में वाटर रिचार्ज एवं वाटर हार्वेस्टिंग है। वाटर रिचार्ज के साधनों में तालाब, आहर, पर्इन आदि हैं परंतु मत्स्य निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 20 वर्ष पहले राज्य में सरकारी और निजी तालाबों की संख्या 2.50 लाख थी जो अब घटकर 98,401 हो गयी है। भूजल स्तर के गिरने के फलस्वरूप बिहार की 150 छोटी बड़ी नदियों में से 48 सूख चुकी हैं।</p> <p>जलापूर्ति योजनाओं में जगह-जगह पाईप फटने और नलों के खराब रहने से लाखों गैलन पानी प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। बारिश के जल को संचित करने का कोई कारगर उपाय राज्य में नहीं किया गया है। यदि इसी तरह से भूजल का दोहन होता रहा तो खेतों को सिंचाई तो दूर आनेवाली पीढ़ी को पीने का पानी भी नहीं मिल पायेगा।</p> <p>अतः भूजल स्तर को दुरुस्त करने के उपाय करने तथा पेयजल की हो रही अनावश्यक बर्बादी पर रोक लगाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।</p>	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री उमेश सिंह कुशवाहा,
स०वि०स०

सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत 34540 कोटि के शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण विभाग के पत्रांक-609, दिनांक-07 मई, 2018 द्वारा किया गया। मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षकों के सेवा निवृत्त होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानि 31 मार्च को पद के मरणशील घोषित होने का प्रावधान है। स्थानांतरित शिक्षक, पद के मरणशील घोषित होने के कारण नये पदस्थापन स्थल पर योगदान नहीं कर पा रहे हैं। प्रावधान के अनुसार जब तक इन पदों को पूर्ण जीवित नहीं किया जाएगा तब तक उन्हें योगदान नहीं कराया जा सकता। वैशाली समेत कई जिलों में शिक्षक पूर्व पदस्थापन स्थल में योगदान नहीं कर पा रहे हैं।

शिक्षा

अतएव सरकार शिक्षा हित में उपरोक्त विषय पर नीतिगत निर्णय लेते हुए स्थानांतरित शिक्षकों को पदस्थापित विद्यालयों में योगदान कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/19-

637

/ वि०स०, पटना, दिनांक-01 जुलाई, 2019 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/19-

637

/ वि०स०, पटना, दिनांक-01 जुलाई, 2019 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।


(पांडव कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।